[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 36/2021-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 19 जुलाई, 2021

सा.का.नि . ... (अ)- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 45/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 780 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,

(i) उक्त सारणी में, क्रम संख्या 2 और 3 के समक्ष, कॉलम (3) में "सीमा शुल्क" शब्दों के स्थान पर "उक्त शुल्क, कर या उपकर" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) स्पष्टीकरण में, खंड (ग) के पश्चात निम्नलिखित खंड को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"(घ) जीएसटी परिषद की सिफारिश पर, किसी भी तरह के भ्रम को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सारणी के क्रम संख्या 2 और 3 में उल्लिखित वस्तुओं पर, उक्त प्रथम अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट सीमाशुल्क के अतिरिक्त उक्त टैरिफ अधिनियम के अंतर्गत उद्ग्रहणीय एकीकृत कर और उपकर, जो कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट मूल्य पर परिकलित है, लागू होता है, तथा उक्त क्रम संख्याओं के अंतर्गत मिलने वाली छूट केवल उक्त शुल्क, कर और उपकर की उस राशि से है जो ऐसी परिकलित राशि से ऊपर हो ।" ।

[फाइल संख्या सीबीआईसी-190354/96/2021-टीओ(टीआरयू-I)-सीबीईसी]

(राजीव रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 45/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 को सा.का.नि. 780 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था।